



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092022-239094
CG-DL-E-24092022-239094

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640]
No. 640]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022/आश्विन 1, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022/ ASVINA 1, 1944

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2022

सा.का.नि.-721(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 में,—
 - नियम 21 में "अनुकूल," शब्द के पश्चात् "आयोग के परामर्श से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - नियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"23. शिथिल करने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि इनमें से किसी नियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के लागू होने से व्यक्तियों या पदों के किसी वर्ग या श्रेणी के लिए अनुचित कठिनाई पैदा हो रही है, तो,

आयोग के परामर्श से, इन नियमों और उसके अधीन बनाए गए विनियमों को हटाया जा सकेगा/सकेगी या इस नियम की अपेक्षा में ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रियायत दी जा सकेगी जैसा आवश्यक समझा जाए।

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 140(अ), तारीख 27 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा.सं.-25/04/2022-सीएस.1(पी)]

वर्षा सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel And Training)

NOTIFICATION

New Delhi, 22nd September, 2022

G.S.R. 721(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Service Rules, 2009 namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Secretariat Service (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Service Rules, 2009, -

(i) in rule 21, after the word “regulation”, the words “in consultation with the Commission”, shall be inserted;

(ii) for rule 23, the following rule shall be substituted, namely:-

“23. Power to Relax.—Where the Central Government is satisfied that the operation of any of these rules and the regulations made thereunder causes undue hardship in any class or category of persons or posts, it may dispense with or relax, in consultation with the Commission, the requirement of the rules and the regulations made thereunder to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary”.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part (II) Section 3 Sub-section (i) vide notification number G.S.R.140 (E), dated the 27th February, 2009.

[F. No. – 25/04/2022-CS.I(P)]

VARSHA SINHA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असामान्य

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2009/फाल्गुन 8, 1930

No. 122]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2009/FALGUNA 8, 1930

कार्यिक, लोक-शिक्षण और पेंशन मंत्रालय

(कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

स.कार.वि. 140(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 को, एक शर्तों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनायीं हैं अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "किसी श्रेणी के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो केंद्रीय सचिवालय सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन उस श्रेणी में नियुक्ति करने के लिए सक्षम है;

(ख) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जब ये नियम प्रवृत्त होंगे।

(ग) किसी श्रेणी के संबंध में "अनुसूचित सेवा" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:

(i) उस श्रेणी में सीधे भर्ती किए गए किसी अधिकारी के संबंध में, उस वर्ष से, जब सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, अगले वर्ष के जुलाई मास की पहली तारीख से उस श्रेणी में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें अनुपस्थिति की वह अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं जिसके दौरान उसने श्रेणी में नियमित आधार पर तब पर्य्यारित किया रहता, यदि वह छुट्टी पर

नहीं होता या उस पद को धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होता।

(ii) उस श्रेणी में विभागीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए किसी अधिकारी के संबंध में उस वर्ष के जुलाई मास की पहली तारीख से, जिसकी विस्तृतों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की गई थी, श्रेणी में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें अनुपस्थिति की वह अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं जिसके दौरान उसने श्रेणी में नियमित आधार पर उस दशक में ऐसा पद धारित किया रहता यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या उक्त पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होता।

(iii) निम्नतर श्रेणी में सेवाकाल के आधार पर श्रेणी में भर्ती किए गए किसी अधिकारी के संबंध में उस वर्ष के जुलाई मास की पहली तारीख से, जिसके लिए भर्ती की गई थी, श्रेणी में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां, जिसमें अनुपस्थिति की वह अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं जिसके दौरान उसने श्रेणी में नियमित आधार पर उस दशक में पदधारित किया रहता यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या उक्त पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होता।

परंतु यह है कि उपखंड (i),(ii),(iii) में उल्लिखित मामलों में से किसी में भी नियुक्ति ग्रहण करने में नब्बे दिन से अधिक का विलंब हो तो वह विलंब उस अधिकारी को किसी त्रुटि से नहीं होना चाहिए;

(घ) सेवा की किसी श्रेणी के संबंध में "प्राधिकृत संख्या" से उस श्रेणी में इयूटी पदों की वह संख्या, जो नियम 5 में विनिर्दिष्ट है, अभिप्रेत है जिसके प्रति नियमित नियुक्तियों की जा सकती;

(ङ) संवर्ग से प्रथम अनुसूची के साम्य (2) में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों का कार्यालयों में या उस अनुसूची के साम्य (3) और (4) में ऐसे मंत्रालय या उसके कार्यालयों के सामने विनिर्दिष्ट सभी कार्यालयों में ज्येष्ठ चपल श्रेणी (निदेशक), चपल श्रेणी (उपसचिव), श्रेणी-1 (अवर सचिव), अनुभागा अधिकारी और सहायक की श्रेणियों के पदों

का समूह अधिभ्रेत है;

(च) संवर्ग इकाई से सहायक मंत्रालय या विभाग अधिभ्रेत है जो प्रथम व द्वितीय अनुसूचियों के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है।

(ज) केंद्रीय सचिवालय सेवा की जिसमें श्रेणियों में नियुक्त अधिकारियों के संबंध "संवर्ग निर्गमन प्राधिकारी" से कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अधिभ्रेत है;

(ख) किसी श्रेणी के संबंध में "सर्वोप अधिकारी" से केंद्रीय सचिवालय सेवा का सदस्य अधिभ्रेत है;

(झ) आयोग से 'संच लोक सेवा आयोग' अधिभ्रेत है;

(ञ) किसी श्रेणी के संबंध में "सामान्य ज्येष्ठता सूची" से, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी संवर्ग इकाईयों में नियत दिवस को सेना से इस श्रेणी के अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची अधिभ्रेत है जिससे केंद्रीय सरकार द्वारा तत्संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार वार्षिक रूप से पुनरीक्षित किया जाता है;

(ट) "रीधे भर्ती हुए व्यक्ति" से वह व्यक्ति अधिभ्रेत है जिसकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आयोजित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से भिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की गई है;

(ठ) सेवा की किसी श्रेणी के संबंध में "हयुयी पद" से वह संवर्ग पद अधिभ्रेत है जो सेवा के अधिकारियों ने, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पद में मूल आधार पर धारित किया हुआ है;

(ड) सेवा की किसी श्रेणी के संबंध में "सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा" से यथास्थिति आयोग या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संबन्धित फोर्डर प्रोटों से उक्त श्रेणी के लिए अप्रार्थित क चयन के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा अधिभ्रेत है;

(ड) "श्रेणी" से, नियम 3 में विनिर्दिष्ट किसी श्रेणी अधिभ्रेत है;

(ण) मंत्रालय से भारत सरकार का मंत्रालय अधिभ्रेत है और इसमें प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2), (3) व (4) में विनिर्दिष्ट मंत्रालय का विभाग या अन्य कार्यालय सम्मिलित है;

(त) "विहित" से इन नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अधिभ्रेत है;

(थ) "स्थायी अधिकारी" से वह व्यक्ति अधिभ्रेत है जिसे सेवा में पुष्टिकरण किया गया है;

(द) "परिवीक्षाधीन" से वह अधिकारी अधिभ्रेत है जिसे सहायक ग्रेड में सीधे भर्ती किया गया है या फोन्त किया गया या नियमित रिक्ति के प्रति परीक्षा पर श्रेणी-1 में नियुक्त किया गया है;

(ध) किसी श्रेणी के संबंध में "ज्येष्ठता रैंक" से, चयन सूची में जोड़ने के लिए सामान्य ज्येष्ठता सूची से केंद्रीय सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रैंक अधिभ्रेत है;

(न) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित अधिकारी" से वह व्यक्ति अधिभ्रेत है जिसे सीधी भर्ती के माध्यम से या सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से या चयन सूची से प्रोन्नति के माध्यम से नियमित रिक्ति के साधने नियुक्त किया गया है और जिसने

नियुक्त प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नियम 13 के अधीन परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है;

(प) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित रिक्तियों" में परभारियों की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, प्रोन्नति, त्यागपत्र, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण या लंबी छुट्टी से उत्पन्न रिक्तियों सम्मिलित हैं;

(फ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अधिभ्रेत है;

(ब) ज्येष्ठ चयन श्रेणी, चयन श्रेणी, ग्रेड -1, अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड के संबंध में "चयन सूची" से, यथास्थिति, नियम 11 के उपनियम (4) या नियम 12 के अधीन बन गए विनियमों के अनुसार तैयार की गई चयन सूची अधिभ्रेत है;

(भ) "सेवा" से केंद्रीय सचिवालय सेवा अधिभ्रेत है।

3. सेवा की संरचना:— (1) सेवा में पांच श्रेणियां होंगी, जिन्हें निम्नलिखित अनुसार दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है:

क्रम सं.	पद श्रेणी	कोटि	वर्गीकरण
1	2	3	4
1.	क	ज्येष्ठ चयन श्रेणी	केंद्रीय सचिवालय सेवा समूह 'क' अनुसूचित
2.	ज	चयन श्रेणी	केंद्रीय सचिवालय सेवा समूह 'क' अनुसूचित
3.	क	श्रेणी -1	केंद्रीय सचिवालय सेवा समूह 'क' अनुसूचित
4.	ख	अनुभाग अधिकारी	केंद्रीय सचिवालय सेवा समूह 'ख' अनुसूचित
5.	घ	सहायक	केंद्रीय सचिवालय सेवा समूह 'ख' अनुसूचित

(2) ज्येष्ठ चयन श्रेणी, चयन श्रेणी 1 और अनुभाग अधिकारी ग्रेड के पद राजपत्रित पद होंगे और सहायक ग्रेड के पद अराजपत्रित होंगे।

4. केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की संयुक्त पदक्रम सूची:— (1) नियम 3 में विनिर्दिष्ट सेवा की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक संयुक्त पदक्रम सूची होगी जिसे सामान्य ज्येष्ठता सूची नहीं जाएगा।

(2) सेवा की प्रत्येक श्रेणी के लिए सामान्य ज्येष्ठता सूची प्रत्येक वर्ष की शहली जनवरी को सेवा की प्रत्येक श्रेणी के अनुसार तैयार की जाएगी।

5. सेवा की प्राधिकृत संख्या:— (1) सेवा की विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत संख्या निम्नलिखित अनुसार विनिर्दिष्ट की गई सारणी में होगी:—

क्रम संख्या	श्रेणी का नाम	स्वीकृत संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	ज्येष्ठ चयन श्रेणी (निदेशक)	110
2.	चयन श्रेणी (उप सचिव)	330
3.	ग्रेड-1 (अवर सचिव)	1,400

(1)	(2)	(3)
4.	अनुभाग अधिकारी ग्रेड	3,000
5.	सहायक ग्रेड	4,904
	कुल	9,744

(2) ग्रेड-1 और उससे ऊपर के अधिकारियों की स्वीकृत संख्या में से 20 प्रतिशत प्रतिनिधित्व रिजर्व, तीन प्रतिशत स्टूडी रिजर्व और एक प्रतिशत प्रशिक्षण रिजर्व होंगे।

(3) इस नियम के उपनियम (2) के अधीन निर्दिष्ट पदों का प्रतिशत क्रम संख्यांक 1 से 3 के सामने उल्लिखित पदों के संबंध में, उपनियम (1) में निर्दिष्ट सारणी के स्तम्भ (3) के अधीन परिशिष्ट की गई स्वीकृत संख्या का अतिरिक्त होगा।

6. केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपर्युक्त नियम 5 में उल्लिखित पदों का, सहभागीय मंत्रालयों या विभागों में संवर्ग इकाईवार वितरण, द्वितीय अनुसूची (क और ख) में दर्शाया गया है।

7. संवर्ग इकाई का प्रारंभिक गठन : सेवा की सभी श्रेणियों के लिए नियमित अधिकारियों का अवधारण, संवर्ग इकाई का प्रारंभिक गठन किए जाने के दिवस को केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

8. संवर्ग अधिकारियों की तैनाती : प्रत्येक संवर्ग अधिकारी को, जब तक कि वह छुट्टी पर न हो या छुट्टी पद धारित करने के लिए अन्यथा उपलब्ध न हो, संवर्ग इकाई की समुचित श्रेणी के छुट्टी पद के सामने तैनात होगा।

9. संवर्ग अधिकारियों द्वारा धारित किए जाने वाले छुट्टी पद : सेवा में प्रत्येक छुट्टी पद, समुचित श्रेणी के संवर्ग अधिकारी द्वारा धारित किया जाएगा।

10. पुष्टिकरण : केंद्रीय सचिवालय सेवा के सभी अधिकारियों को सेवा में प्रवेश स्तर पर कैंवस एक बार स्थायी किया जाएगा।

11. ज्येष्ठ चयन श्रेणी, चयन श्रेणी और ग्रेड-1 में भर्ती:

(1) ज्येष्ठ चयन श्रेणी में नियमित रिक्तियाँ, चयन श्रेणी के ऐसे नियमित अधिकारियों की प्रोन्नति से भरी जाएंगी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो और जो उपनियम (4) के अधीन तैयार की गई ज्येष्ठता चयन श्रेणी की चयन सूची में सम्मिलित हैं।

(2) चयन श्रेणी में नियमित रिक्तियाँ, ग्रेड-1 के ऐसे नियमित अधिकारियों से भरी जाएंगी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो और जो उपनियम (4) के अधीन तैयार की गई चयन श्रेणी की चयन सूची में सम्मिलित हैं।

(3) ग्रेड-1 नियमित रिक्तियाँ अनुभाग अधिकारी ग्रेड के ऐसे नियमित अधिकारियों की प्रोन्नति से भरी जाएंगी जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा की हो और जो उपनियम (4) के अधीन तैयार की गई सेवा के ग्रेड-1 चयन सूची में सम्मिलित हैं।

(4) उप नियम (1) (2) व (3) के प्रयोजन के लिए ज्येष्ठ चयन श्रेणी, चयन श्रेणी व ग्रेड-1 की चयन सूची वार्षिक रूप से

तैयार और प्रकाशित की जाएगी। चयन सूचियों को तैयार व पुनरीक्षित करने के लिए प्रक्रिया यह होगी जो केंद्रीय सरकार, विनियमों द्वारा विहित की जाए।

परंतु ग्रेड-1 के लिए चयन सूची तैयार और पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया से संबंधित विनियम, आयोग के परामर्श से तैयार किए जाएंगे।

12. अनुभाग अधिकारी और सहायक ग्रेड में भर्ती।

(1) अनुभाग अधिकारी ग्रेड :

(क) अनुभाग अधिकारी ग्रेड की नियमित रिक्तियों में से पचास प्रतिशत रिक्तियाँ सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से और पचास प्रतिशत रिक्तियाँ अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति करके भरी जाएंगी।

(ख) उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा बनाए गए विनियमों से अवधारित किए जाएंगे और विभिन्न संवर्ग इकाइयों को, इस परीक्षा के परिणाम से अप्परियों का आवंटन की उक्त विभाग द्वारा किया जाएगा।

परंतु यदि किसी भर्ती वर्ष में संवर्ग इकाई में रिक्तियाँ भरने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या ज्येष्ठता आधार पर प्रोन्नति द्वारा अप्परियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो अपूरित रिक्तियाँ, अग्रणीत की जाएंगी और उन्हें अगले भर्ती वर्ष में भरी जाने वाली समान भर्ती रीति की रिक्तियों की संख्या में जोड़ा जाएगा।

परंतु यह और कि उक्त अपूरित रिक्तियों को उस वर्ष के पश्चात् जिससे कि भर्ती संबंधित है, दो भर्ती वर्षों से अधिक के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा और इसके पश्चात् यदि भर्ती की एक रीति से संबंधित रिक्तियाँ, अपूरित रह जाएं तो उन्हें भर्ती की अन्य रीति के लिए अतिरिक्त रिक्तियों के तौर पर अंतरित किया जाएगा।

2. सहायक ग्रेड

(क) संवर्ग इकाइयों में सहायक ग्रेड की नियमित रिक्तियों में से पचास प्रतिशत रिक्तियाँ, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित की गई हों कंप्यूटर में दक्षता प्राप्त स्नातकों की सीधी भर्ती से भरी जाएंगी। ऐसा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए वर्ष में एक बार आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर किया जाएगा, शेष रिक्तियों में पदेन प्रतिशत रिक्तियाँ ज्येष्ठता आधार पर प्रोन्नति द्वारा और दस प्रतिशत रिक्तियाँ केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के प्रवर श्रेणी लिपिकों के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष में एक बार आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। वर्ष 2003 में केंद्रीय सचिवालय सेवा की संवर्ग पुनर्संरचना से उत्पन्न सहायकों की परिणामी रिक्तियों की एक बार के अपवाद के रूप में प्रवर श्रेणी लिपिकों से भरा जाएगा। इनमें से पचास प्रतिशत रिक्तियाँ सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से और शेष पचास प्रतिशत ज्येष्ठता से भरी जाएंगी।

(ख) जिन व्यक्तियों का नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है उनकी नियुक्ति, उस समय सूची में ज्येष्ठता के क्रम में की जाएगी इस नियम के प्रयोजन के लिए सहायक ग्रेड को चयन सूची आर्थिक तौर से तैयार व प्रकाशित की जाएगी।

(ग) उपर्युक्त निर्दिष्ट प्रतियोगिता परीक्षाओं और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा बनाए गए विनियमों से अवधारित किए जाएंगे और विभिन्न संलग्न दस्तावेजों को, इन परीक्षाओं के परिणामों से अप्पॉइंटमेंटों को आक्टन भी उक्त विभाग द्वारा किया जाएगा।

(घ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड के लिए चयन सूची तैयार और पुनरीक्षित करने की शक्ति का केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों से अवधारित की जाएगी।

13. परिवीक्षा (1) प्रत्येक अधिकारी जो, चाहे वह सहायक ग्रेड में सीधे भर्ती किया गया हो या प्रोन्नत किया गया हो या ग्रेड I में नियुक्त किया गया हो, प्रारंभ में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा और परिवीक्षा को अवधि, नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की होगी।

(2) सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति से भिन्न अन्य प्रत्येक व्यक्ति, जब सहायक ग्रेड में पहली बार नियुक्त किया जाए, ऐसी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा।

(3) उप नियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की अवधि को, यदि नियुक्ति अधिकारी उपर्युक्त समझे, किसी भी मामले में बढ़ाया जा सकेगा, परंतु परिवीक्षा बढ़ाए जाने की कुल अवधि, सिवाय जब अधिकारी को विरुद्ध लॉबीट किरी विभागीय या विधिक कार्यवाहियों के कारण आवश्यकता हो, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) परिवीक्षा के दौरान सेवा के रुद्धत्व से कार्मिक, लोक-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने और परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी।

14. परिवीक्षाधीन व्यक्तियों का पुष्टिकरण-सहायक ग्रेड या सेवा के ग्रेड I में नियुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति जब तक विनियमों द्वारा अवधारित रीति से अपनी परिवीक्षा अवधि, नियुक्ति अधिकारी की स्तुष्टि के अनुसार पूरी न कर ले तब तक वह सेवा में पुष्टिकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

जब तक अधिकारी को इस नियम के अधीन पुष्टिकरण नहीं कर दिया जाता या

नियम 15 के अधीन सेवा प्रुक्त या प्रत्यावर्तित नहीं कर दिया जाता तब तक वह परिवीक्षा पर ही रहेगा।

15. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को संघानुक्ति या प्रत्यावर्तन (1) जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति का केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर धारणाधिकार न हो उसे किसी सूचना के बिना किसी भी समय सेवा से उन्मोचित किया जा सकता है यद्यपि कि परिवीक्षा के दौरान उसके कार्य निष्पादन या आचरण के आधार पर उसे सेवा में आगे बढने के लिए अयोग्य माना गया है।

(2) जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर धारणाधिकार हो उसे उपर्युक्त (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी समय उक्त पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

(3) जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को नियम 13 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा अवधि को समाप्त पर या इस नियम के उपनियम (3) में अधीन परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, की समाप्ति पर स्थायीकरण के लिए उपयुक्त न समझा भूत हो उसे यथास्थिति उपनियम (1) या उपनियम (2) के अनुसार संघानुक्ति या प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(4) सहायक ग्रेड या ग्रेड I में सेवा के ऐसे परिवीक्षाधीन सदस्य को नियम 13 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा अवधि या उस नियम के उपनियम (3) के अधीन परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, के दौरान या समाप्ति पर उस ग्रेड में बने रहने के लिए उपयुक्त न समझा गया हो उसे यथास्थिति सेवा को लोक नोच को श्रेणी में या केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा; की उस संशोधित श्रेणी में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिससे वह सेवा के ग्रेड में परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था।

16. ज्येष्ठता : (1) नियत दिवस से पहले किसी श्रेणी में नियुक्त सेवा के सदस्यों की संपेक्षिक ज्येष्ठता, उस तारीख से पहले यथा अवधारित उनकी संपेक्षिक ज्येष्ठता से विनियमित की जाएगी :

परंतु यह है कि ऐसे किसी अधिकारी की ज्येष्ठता उन तारीख से पहले विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित न की गई हो, तो वह कार्मिक, लोक-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा यथा अवधारित की जाएगी।

(2) नियत दिवस के बाद किसी श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता निम्नलिखित अनुसार अवधारित की जाएगी, अर्थात् :

I. ज्येष्ठ चयन श्रेणी, चयन श्रेणी, ग्रेड I और अनुभाग अधिकारी :-

नियुक्ति के दिन के पश्चात् उस श्रेणी में नियुक्त अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता उन आदेशों से विनियमित की जाएगी जिन आदेशों में श्रेणी के लिए चयन सूची में उनके नाम सम्मिलित किए गए हों :

II. सहायक ग्रेड

(1) नियमित अधिकारी

(क) सीधे भर्ती से चयन अधिकारियों को परस्पर ज्येष्ठता सूची केंद्रीय सरकार द्वारा यथा चिहित किए गए अधिदेशात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अम्पॉइंटमेंटों द्वारा प्राप्त किए गए अंक और 25 : 25 के अनुपात में कार्यकारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, एवं परीक्षा द्वारा भर्ती अम्पॉइंटमेंटों की ज्येष्ठता एक पश्चात् की परीक्षा में चयनित अम्पॉइंटमेंटों के रैंक से पहले निर्धारित की जाएगी :

परंतु यह है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता केंद्रीय

सिविल सेवा पर लागू केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित किया जाए आधार पर सैफार की जाएगी।

(ख) श्रेणियों के लिए चयन सूची से श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का परस्पर परक्रम इस प्रकार से की गई नियुक्ति के क्रम से निर्धारित किया जाएगा ;

(ग) श्रेणियों में सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किये गये व्यक्तियों और श्रेणी के लिए चयन सूची से श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता इस ओर में, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा बनाये गये विनियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित की जाएगी।

17. वेतन : सेवा के लिए विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित वेतनमान निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(i) ज्येष्ठ चयन ग्रेड : 37400-67000 रुपए (वेतनबैंड-4)
+ 8700 रुपए (श्रेणी वेतन)

(ii) चयन ग्रेड : 15600-39100 रुपए (वेतनबैंड-3)।
7600 रुपए (श्रेणी वेतन)

(iii) ग्रेड I : 15600-39100 रुपए (वेतनबैंड-3) - 6600 रुपए (श्रेणी वेतन)

(iv) अनुभाग अधिकारी ग्रेड : 9300-34800 रुपए
(वेतनबैंड-2) + 4800 रुपए (श्रेणी वेतन)

टिप्पणी : अनुभाग अधिकारियों को, उस श्रेणी में 4 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी करने पर गैर-कार्यात्मक वेतनमान 15600-39100 (पी बी-3) रुपए + 5400 रुपए (श्रेणी वेतन) ग्राह्य है। जिन अनुभाग अधिकारियों को, यह गैर-कार्यात्मक वेतनमान दिया जाता है, वे समूह 'ख' (राजपत्रित) में हो जाने रहेंगे और ग्रेड-1 (अपर सचिव) सेक में प्रोन्नति के लिए उनकी पत्रता की गणना, अनुभाग अधिकारी के दोनों वेतनमानों में व्यतीत कुल अवधि मिलाकर की जाएगी।

(v) सहायक ग्रेड (असिस्टेंट ग्रेड) 9300-34800 (पी बी-2)
+ 4200 रुपए (श्रेणी वेतन)

18. वेतन का विनियमन :- (1) विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों का वेतन और वेतनवृद्धि का केंद्रीय सिविल सेवा के वेतन से सम्बन्धित नियमों के अनुसार विनियमित होगी।

(2) किसी श्रेणी में परीक्षाधीन का वेतन, उसके द्वारा नियुक्ता प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप परीक्षा का प्रत्येक वर्ष पूरा करने और विहित की गई आवधिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर, समय वेतनमान में एक चरण बढ़ाया जाएगा।

19. अंत संवर्ग स्थानांतरण :- किसी श्रेणी के संवर्ग अधिकारी को एक संवर्ग यूनिट से दूसरे में स्थानांतरण करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सक्षम प्राधिकारी होगा।

20. नए संवर्ग यूनिटों का गठन :- (1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग पहली अनुसूची में दिए गए अनुसार संवर्ग में

संशोधन, उपान्तरित करने और अतिरिक्त संवर्ग बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(2) प्रारम्भ में उप-नियम (1) के अंतर्गत गठित किसी नए संवर्ग यूनिट में प्रत्येक श्रेणी में प्राधिकृत संख्या और नियमित अधिकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा ब्यथानिर्धारित किए गए अनुसार होंगे।

(3) उप-नियम (1) के अधीन नया संवर्ग यूनिट गठित किए जाने और उप-नियम (2) के अधीन इसका आर्थिक गठन निर्धारित किए जाने के पश्चात् इन नियमों के अन्य उपबंध ऐसे संवर्ग यूनिट पर लागू होंगे।

21. विनियमन :- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इन नियमों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, इन नियमों के अनुकूल, विनियमन बना सकेगा ताकि ऐसे सभी मामलों के लिए उपबंध किया जा सके जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है।

22. अघोषित मामले :- ऐसे मामलों के सम्बंध में जो इन नियमों या विनियमों या उसके अंतर्गत किए गए या जारी आदेशों या विशेष आदेशों में विनिर्दिष्ट रूप से शामिल नहीं हैं, सेवा के सदस्य सामान्यतः केंद्रीय सिविल सेवा के लिए लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियमित होंगे।

23. शिथिल करने की शक्ति :- केंद्र सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि इनमें से किसी नियम के लागू होने से व्यक्तियों या पदों के किसी वर्ग या श्रेणी के लिए अनुचित कठिनाई पैदा हो रही है, तो इस नियम को हटया जा सकेगा/संशोधित या इस नियम की अपेक्षा में ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्वधीन रियायत दी जा सकेगी जैसा अधवश्यक समझा जाए।

24. निरसन और व्यावृत्ति :- (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने से पहले प्रवृत्त केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए विनियमन समय-समय पर यथासंशोधित इसके द्वारा पूर्ववर्ती नियमों या विनियमों के और ऐसे प्रारम्भ से तत्काल पहले प्रवृत्त, के अंतर्गत किसी अधिसूचना, नियम, विनियम, जारी आदेश या नोटिस या की गयी नियुक्ति या घोषणा, या दो गयी छूट या अधिविधित शक्ति या जुमाना या की गई कोई चीज या की गयी कोई कार्रवाई जहां तक यह इन नियमों के उपबंधों के अस्मंगत नहीं है, इन नियमों के सदृश उपबंधों के अधीन जारी किया गया, प्रदत्त किया, कटाया गया या लिया गया समझा जाएगा।

25. आरक्षण :- इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए, इस सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार दी जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण, छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

26. निर्वचन :- यदि इन नियमों या इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के किसी उपबंध के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो, यह मामला कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजा जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

प्रथम अनुसूची [नियम 2 (ड), 2(च), 2(इ) और 20 देखें]
उन मंत्रालयों/कार्यालयों के नाम जिन पर केंद्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 लागू होते हैं

क्रम सं.	संलग्न यूनिट के नाम	स्तंभ 2 में उल्लिखित संलग्न यूनिट के अधीन प्रागोक्षित करने वाले कार्यालयों के नाम (केवल दिल्ली में)	दिल्ली से बाहर स्थित कार्यालयों के नाम व पता
1	2	3	4
1.	कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग)	(i) कृषि और सहकारिता विभाग; (ii) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग; (iii) पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग; (iv) आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	(i) जनस्थिति-संरक्षण, संगरोध तथा संघयन निदेशालय, एन एन-IV, फरीदाबाद (ii) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, एन एन-IV, फरीदाबाद (iii) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, (शाखा मुख्यालय) नया सचिवालय भवन, नागपुर
2.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग)	(i) उर्वरक विभाग; (ii) रसायन और वेद रसायन विभाग; (iii) शीपक विभाग; (iv) राष्ट्रीय शेषक कौशल विधित्त प्राधिकरण (एन.पी.सी.ए.); (v) उर्वरक उद्योग समन्वय समिति का कार्यालय (एक आईसीसी), अनां कल, जेवा पवन, नई दिल्ली;	
3.	नागर विमानन मंत्रालय	(i) नागर विमानन मंत्रालय (मूल); (ii) नागर विमानन महानिदेशालय; (iii) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो; (iv) रेलवे सुरक्षा आयोग;	रेलवे सुरक्षा अनुभाग 10-अशांक मार्ग, पूर्वोत्तर रेलवे क्वार्टर, लखनऊ-226001
4.	कोयला मंत्रालय	(i) कोयला मंत्रालय (मूल)	
5.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)	(i) वाणिज्य विभाग; (ii) निदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय); (iii) नस्ल मंत्रालय; (iv) राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा महासंस्थान; (v) डी.सी. का कार्यालय (हथकरघा)	
6.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्द्धन और नीति विभाग)	(i) उद्योग नीति और संवर्द्धन विभाग (ii) नए उद्योग विभाग (iii) तार्किक उद्योग विभाग (iv) डीएफ आयोग (v) आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (vi) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	

1	2	3	4
7	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अपूर्ति प्रभाग	(i) अपूर्ति पूर्व निपटान महानिदेशालय	
8	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)	(i) दूरसंचार विभाग	
9	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग)	(i) डाक विभाग (सफिकलन) (ii) डाक जीवन बीमा निदेशालय (iii) कर्मचारि विकास निदेशालय	
10	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)	(i) उपभोक्ता मामले विभाग (मूल)	
11	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)	(i) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (ii) शर्करा निदेशालय (iii) जनस्मृति, जनस्मृति क्लेन और वसा निदेशालय	
12	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	(i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय (मूल)	
13	संस्कृति मंत्रालय	(i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	
14	रक्षा मंत्रालय (मुख्य सचिवालय)	(i) रक्षा विभाग (ii) रक्षा उत्पादन विभाग (iii) रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (iv) मूलपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (v) रक्षा मंत्रालय (वित्त) (vi) सैन्य क्रय संयोजन	
15	पर्यावरण और रान मंत्रालय	(i) राष्ट्रीय वायुमयी और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (ii) राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (iii) लोक निर्माण यूनिट (iv) राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण (v) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण	
16	विद्युत मंत्रालय (व्यय विभाग)	(i) व्यय विभाग (ii) आर्थिक व्यय विभाग (iii) राजस्व विभाग (iv) विद्युत सेवा विभाग (v) विनिवेश विभाग	
17	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)	(i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (ii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (iii) आयुष विभाग (iv) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	
18	गृह मंत्रालय	(i) गृह मंत्रालय (मूल) (ii) चॉन्सिडल सचिवालय (राष्ट्रपति भवन) (iii) मेडिकल सचिवालय (सुरक्षा) (iv) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रयान्वयन मंत्रालय (v) प्रधानमंत्री कार्यालय	

1

2

3

4

		(vi) न्यय विभाग	
		(vii) रागन्वय, पुलिस वायरलेस और कंप्यूटर केंद्र निदेशालय	
		(viii) भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय	
		(ix) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	
		(x) नौवमंडल सचिवालय (एनएससीएस)	
		(xi) अंतर-राज्यिक परिषद्	
		(xii) पूर्वोत्तर-क्षेत्र विकास मंत्रालय	
		(xiii) भारतीय प्रवासी कार्य मंत्रालय	
		(xiv) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो	
		(xv) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	
19.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग)	(i) उच्च शिक्षा विभाग	
		(ii) स्वतंत्र शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	
20.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	(i) सूचना और प्रसारण मंत्रालय (मूल)	
		(ii) आकाशवाणी महानिदेशालय	
		(iii) दूरदर्शन महानिदेशालय	
		(iv) प्रेस आसूचना ब्यूरो	
		(v) विज्ञापन एवं दूरचित्र प्रचार निदेशालय	
		(vi) प्रकाशन विभाग	
		(vii) भारत के समाचारपत्रों के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	
21.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	(i) मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय, नई दिल्ली	
		(ii) कारखाना गतमार्ग सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय, मुंबई	केंद्रीय श्रम संस्थान भवन, ऑफ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाउस, सत्यन, मुंबई
		(iii) श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़-शिमला	(i) एस डी ओ, 28-31, सेक्टर 17, जे एल के भवन, चंडीगढ़-160017
		(iv) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय	मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम
22.	शिक्षा और न्याय मंत्रालय (शिक्षा कार्य विभाग)	(i) शिक्षा कार्य विभाग	शिक्षा सचिवालय-मुंबई, कोलकाता, बंगलुरु और चेन्नै
		(ii) विधायी विभाग	
23.	खान मंत्रालय	(i) खान मंत्रालय (मूल)	
24.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)	(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	
		(ii) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग	
		(iii) प्रशासनिक सुधार एवं लोक विभाग	
		(iv) मार्गदर्शक उच्च चयन बोर्ड	
		(v) कर्मचारी चयन आयोग	केंद्रीय कार्यालय-कोलकाता, मुंबई, चेन्नै, चंडीगढ़, बंगलुरु, रायपुर और शिलांग
		(vi) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आई एस टी एम)	
		(vii) केंद्रीय सूचना आयोग	
		(viii) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो	
		(ix) केंद्रीय सतर्कता आयोग	

1	2	3	4
25.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	(i) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (मूल)	
26.	विद्युत मंत्रालय	(i) विद्युत मंत्रालय (ii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (iii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
27.	ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विपन्नता विभाग)	(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ii) भूमि संसाधन विभाग (iii) पेयजल आपूर्ति विभाग (iv) पंचायती राज मंत्रालय (v) यूएनआइसीडीएफ भंडारों (सीपीएमसी) के लिए केंद्रीय परियोजना प्रबंधन प्रकोष्ठ	मुंबई स्थित कार्यालय
28.	वित्त और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वित्त और प्रौद्योगिकी विभाग)	(i) वित्त और प्रौद्योगिकी विभाग (ii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (iii) नैव-प्रौद्योगिकी विभाग	
29.	पोतपरिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग)	(i) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग (ii) पोतपरिवहन विभाग	
30.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	(i) विकास आसुक्त का कार्यालय (एमएस एमई)	
31.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	(i) जनजातीय कर्म मंत्रालय (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (iii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (iv) राष्ट्रीय पिकरुा वर्ग आयोग (v) अल्पसंख्यक समूहों का मंत्रालय	
32.	इस्पात मंत्रालय	(i) इस्पात मंत्रालय (मूल)	
33.	राष्ट्रीय विकास मंत्रालय	(i) राष्ट्रीय विकास मंत्रालय (ii) आजादीय एवं सहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (iii) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (iv) संपदा निदेशालय (v) मृदाय निदेशालय (vi) राष्ट्रीय भवन संगठन (vii) भूमि-विकास कार्यालय	मुख्य इंचीविपर का कार्यालय मुंबई, चेन्नै, बयपुर, गुवाहाटी, और कोलकाता
34.	जल संसाधन मंत्रालय	(i) केंद्रीय जल आयोग (ii) केंद्रीय मुद्रा और पदार्थ अनुसंधान स्टेशन	केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय- चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, पटना, दिल्लीगुड़ी, शिल्लंग, पोपल, गांधीनगर, नागपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोयंबटूर, बेंगलुरु, पुणे
35.	महिला एवं कल विकास मंत्रालय	(i) महिला एवं कल विकास मंत्रालय (मूल)	
36.	बुना मामले और खेलकूद मंत्रालय	(i) बुना मामले विभाग (ii) खेलकूद विभाग	
37.	योजना आयोग	(i) योजना आयोग	
38.	संघ लोक सेवा आयोग	(i) संघ लोक सेवा आयोग	

दूसरी अनुसूची-भाग-क (नियम 6 देखें)					1	2	3	4	5
निदेशक, उप सचिव और अवर सचिवों की स्वीकृत संख्या (सी एस एस)									
क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/यूनिट का नाम	स्वीकृत संख्यावल	निदेशक	उप सचिव	अवर सचिव				
1	2	3	4	5					
1.	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत	1	2	10	27.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	2	6	29
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0	1	7	28.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	2	2	8
3.	कृषि एवं सहकारिता	2	11	51	29.	स्वस्थ एवं गरिब कल्याण	1	13	56
4.	पशुपालन एवं डेयरी	1	2	7	30.	भारी उद्योग	0	4	4
5.	वायुय विभाग	0	2	5	31.	पृष्ठ	16	15	100
6.	जैव-प्रौद्योगिकी	1	1	5	32.	सूचना एवं प्रसारण	0	4	30
7.	मशिनडाल सचिवालय	1	5	11	33.	औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन	2	6	30
8.	रसायन एवं पेट्रोसायन	0	4	11	34.	अंतर-राज्यिक परिषद् सचिवालय	2	2	7
9.	नागर विमानन	0	4	19	35.	श्रम	2	8	31
10.	कोयला	0	2	9	36.	विधि कार्य	0	2	4
11.	वाणिज्य	4	9	55	37.	विधायी विभाग	0	4	2
12.	दयभोक्ता मामले	2	2	9	38.	छात्र	0	2	5
13.	कारपोरेट कार्य	0	3	12	39.	शल्पसंरक्षक मामले	0	3	6
14.	संस्कृति	0	3	17	40.	नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा	1	0	9
15.	केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)	3	0	0	41.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन एच आर सी)	1	0	0
16.	रक्षा	11	20	118	42.	भारतीय प्रचाली मामले	0	1	2
17.	चिन्विज्ञ	0	2	7	43.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	1	4	18
18.	उत्तर पूर्व क्षेत्र विभाग (डी.ओ.एन.आर.)	2	3	6	44.	शोषण आयोग	1	4	10
19.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, आई एस सी एम, पी ई एस जी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी ई)	7	14	41	45.	प्रधानमंत्री कार्यालय (पी एम ओ)	0	0	3
20.	पृथ्वी एवं विज्ञान	0	3	4	46.	डाक	0	3	18
21.	आर्थिक कार्य	3	5	38	47.	विद्युत	1	6	27
22.	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा	6	12	56	48.	लोक दायन	1	1	2
23.	पर्यावरण एवं वन	2	4	24	49.	भारत के महारजिस्ट्रार	1	1	2
24.	व्यय	1	4	17	50.	राजस्व	1	12	44
25.	उर्वरक	0	2	8	51.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	2	4	16
26.	वित्तीय सेवाएँ	4	5	12	52.	ग्रामीण विकास	3	6	29
					53.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1	4	16
					54.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान	0	1	1
					55.	पोत परिवहन	0	4	16
					56.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	4	4	18
					57.	कर्मचारी चयन आयोग (एस एस सी)	1	1	11
					58.	लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग और पिक स आयुक्त (एस एस आई)	0	3	8

1	2	3	4	5
59.	साँख्यकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	0	2	10
60.	इस्पात	1	3	12
61.	आपूर्ति	0	4	20
62.	दूरसंचार	0	7	24
63.	कचरा	2	2	11
64.	पर्यटन	0	2	7
65.	जनजातीय कार्य	0	4	8
66.	संघ लोक सेवा आयोग (यू पी एस सी)	3	19	67
67.	शहरी विकास	3	13	58
68.	जल संसाधन	2	7	28
69.	महिला एवं बाल विकास	0	4	17
70.	युवा मामले एवं खेलकूद	2	3	10
	कुल	110	330	1400

दूसरी अनुसूची-खंड 'ख' (नियम 6 देखें)

सी एस एस के अनुभाग अधिकारी एवं सहायकों की स्वीकृत संख्या

क्रम सं.	संघर्ष यूनिट का नाम	स्वीकृत संख्या	
		अनुभाग	सहायक अधिकारी
1	2	3	4
1.	कृषि मंत्रालय (कृषि और सहायक विभाग)	118	181
2.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग)	38	63
3.	नागर विमानन मंत्रालय	36	98
4.	कोयला मंत्रालय	18	27
5.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)	140	140
6.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) आपूर्ति प्रभाग	54	80
7.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संस्करण विभाग)	104	124
8.	संचार मंत्रालय (डाक विभाग)	42	102
9.	संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग)	56	86
10.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	22	39
11.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)	18	23

1	2	3	4
12.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)	54	102
13.	संस्कृति मंत्रालय	41	52
14.	रक्षा मंत्रालय	221	336
15.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	48	63
16.	वित्त मंत्रालय	255	456
17.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	135	222
18.	गृह मंत्रालय	269	444
19.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	120	223
20.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	150	256
21.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	76	143
22.	विधि एवं न्याय मंत्रालय	23	50
23.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	21	26
24.	खान मंत्रालय	25	37
25.	कार्मिक, लोक शिक्षा एवं पेशा मंत्रालय (डी ओ पी टी)	149	217
26.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	36	90
27.	विद्युत मंत्रालय	70	102
28.	ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)	46	58
29.	विज्ञान एवं औद्योगिकी मंत्रालय	46	60
30.	पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	64	108
31.	सांघातिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	58	82
32.	इस्पात मंत्रालय	25	40
33.	शहरी विकास मंत्रालय	150	277
34.	जल-संसाधन मंत्रालय	56	127
35.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	31	30
36.	युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय	21	43
37.	योजना आयोग	23	62
38.	संघ लोक सेवा आयोग	141	285
	कुल	3000	4900

[फा. सं. 5/24/2004-सी.एस.आई.]

डा. एस. के. सरकार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th February, 2009

G.S.R. 140(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Secretariat Service Rules, 1962, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Secretariat Service Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires:—

- (a) "appointing authority" in relation to any Grade means the authority empowered under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, to make appointments to that Grade;
- (b) "appointed day" means the date on which these rules come into force;
- (c) "approved service" in relation to any Grade means;
- (i) in respect of an officer recruited directly to that grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of July of the year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;
- (ii) in respect of an officer recruited to that grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of July of the year for vacancies of which such examination was held;

(iii) in respect of an officer recruited to that grade on the basis of length of service in the lower grade, period or periods of regular service rendered in that grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the first day of July of the year for which the recruitment was made:

Provided that where there is delay of more than ninety days in joining on appointment, in any of the cases mentioned in the sub clauses (i), (ii) and (iii) above, such delay should not be due to any fault on the part of the officer;

- (d) "authorised strength" in relation to any grade of the Service means the strength of duty posts in that Grade, as specified in rule 5, against which regular appointments may be made;
- (e) "cadre" means the group of posts in the Grades of Senior Selection Grade (Director), Selection Grade (Deputy Secretary), Grade-I (Under Secretary), Section Officer and Assistant in any of the Ministries or Offices specified in column (2) of the First Schedule and in all the Offices specified against such Ministry or its Office in column (3) and (4) of that Schedule;
- (f) "Cadre-unit" means the participating Ministries or Departments as specified in column (2) of the First and Second Schedules;
- (g) "Cadre Controlling Authority" in relation to officers appointed to any grade of Central Secretariat Service means the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions;
- (h) "cadre officer" in relation to any grade means a member of the Central Secretariat Service;
- (i) "Commission" means the Union Public Service Commission;
- (j) "Common seniority list" in relation to any Grade means the seniority list of officers of that Grade serving in all the cadre units specified in the First Schedule as on the appointed day and revised annually in accordance with the regulations to be framed in this behalf by the Central Government;

- (k) "direct recruit" means a person recruited on the basis of a competitive examination, other than a departmental competitive examination recruited through the Staff Selection Commission;
- (l) "duty post" in relation to any Grade of the service means a Cadre post held by officers of the service on a substantive basis in any post specified in the Second Schedule;
- (m) "Limited Departmental Competitive Examination" in respect of any grade of the service means a competitive examination held by the Commission or the Staff Selection Commission, as the case may be, to select candidates for that grade from amongst the respective feeder grades;
- (n) "Grade" means any of the Grades specified in rule 3;
- (o) "Ministry" means a Ministry in the Government of India and includes a Department of a Ministry or other Offices specified in columns (2), (3) and (4) of the First Schedule;
- (p) "Prescribed" means prescribed by the rules made by the Central Government under these rules;
- (q) "permanent officer" means a person who has been confirmed in Service;
- (r) "probationer" means an officer either directly recruited or promoted to the Assistants' Grade or appointed to Grade-I on probation against a regular vacancy;
- (s) "range of seniority" in relation to any grade means the range specified by the Central Government in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions in the common seniority list for that grade for additions to Select List;
- (t) "regular officer", in relation to any grade, means a person who has been appointed against a regular vacancy either through direct recruitment or through a Limited Departmental Competitive Examination or through promotion from Select List and who has completed the period of probation under rule 13 to the satisfaction of the appointing authority;

- (u) "regular vacancies", in relation to a grade, includes vacancies arising out of death, retirement, promotion, resignation, deputation or transfer or long leave of incumbents;
- (v) "Schedule" means a Schedule to these rules;
- (w) "Select List" in relation to the Senior Selection Grade, Selection Grade, Grade I, Section Officers' Grade and the Assistants' Grade means the Select List prepared in accordance with the regulations made under sub-rule (4) of the rule 11 or rule 12, as the case may be;
- (x) "Service" means the Central Secretariat Service;

3. **Composition of the Service.**- (1) There shall be five Grades in the Service which are classified into two groups as given below:-

S.No.	Group of post/grade	Grade	Classification
(1)	(2)	(3)	(4)
1	A	Senior Selection Grade	Central Civil Service Group A Ministerial
2	A	Selection Grade	Central Civil Service Group A Ministerial
3	A	Grade-I	Central Civil Service Group A Ministerial
4	B	Section Officer	Central Civil Service Group B Ministerial
5	B	Assistant	Central Civil Service Group B Ministerial

(2) The posts in the Senior Selection Grade, Selection Grade, Grade I and the Section Officers' Grade shall be gazetted posts and those in the Assistants' Grade shall be non-gazetted posts.

4. **Combined Gradation List of Officers of the Central Secretariat Service.** - (1) There shall be a single combined gradation list called Common Seniority List for each grade of the Service specified in rule 3.

(2) The Common Seniority List for each grade of the Service shall be prepared as on 1st January of every year.

5. The authorised cadre strength of the Service.- (1) The authorised strength of various Grades of the Service shall be as specified in Table below:-

Table

S.No.	Name of the Grade	Sanctioned strength
(1)	(2)	(3)
1	Senior Selection Grade (Director)	110
2	Selection Grade (Deputy Secretary)	330
3	Grade-I (Under Secretary)	1400
4	Section Officers' Grade	3000
5	Assistants' Grade	4904
	TOTAL.	9744

(2) There shall be a Deputation Reserve of twenty percent, Leave Reserve of three percent and Training Reserve of one percent of the sanctioned strength of officers of Grade-I and above.

(3) The percentage of posts referred to under sub-rule (2) of this rule shall be in addition to the sanctioned strength indicated under column (3) of the Table referred to in sub-rule (1) in respect of posts mentioned against serial number 1 to 3.

6. The cadre unit-wise distribution of posts of different grades of the Central Secretariat Service cadre mentioned in rule 5 above among the participating Ministries or Departments is given in the Second Schedule (A and B).

7. Initial Constitution of a Cadre unit.- The regular officers for all grades of the Service on the day on which a cadre-unit is initially constituted shall be determined by the Central Government.

8. Posting of cadre officers.- Every cadre officer shall, unless he is on leave or otherwise not available for holding a duty post, be posted against a duty post of the appropriate Grade in the cadre unit.

9. Duty posts to be held by cadre officers.- Every duty post in the Service shall be held by a cadre officer of appropriate grade.

10. Confirmation. - Confirmations of all Central Secretariat Service officers shall be made only once at the <https://www.stint.in> Service.

11. Recruitment to Senior Selection Grade, Selection Grade and Grade L-

(1) Regular vacancies in the Senior Selection Grade shall be filled by promotion of regular officers of Selection Grade who have rendered not less than five years' approved service in that Grade and are included in the Select List for the Senior Selection Grade prepared under sub-rule (4).

(2) Regular vacancies in the Selection Grade shall be filled by promotion of regular officers of Grade I who have rendered not less than five years' approved service in that Grade and are included in the Select List for the Selection Grade prepared under sub-rule (4).

(3) Regular vacancies in Grade I shall be filled by promotion of regular officers of the Section Officers' Grade who have rendered not less than eight years' approved service in that Grade and are included in the Select List for Grade I of the Service prepared under sub-rule (4).

(4) For the purposes of sub-rules (1), (2) and (3), a Select List for the Senior Selection Grade, Selection Grade and Grade I shall be prepared and published annually. The procedure for preparing and revising the Select Lists shall be such as may be prescribed by regulations made by the Central Government:

Provided that the regulations relating to the procedure for preparing and revising the Select List for Grade I shall be prepared in consultation with the Commission.

12. Recruitment to the Section Officers' and the Assistants' Grade. -**(1) SECTION OFFICERS' GRADE**

(a) The regular vacancies in the Section Officers' Grade shall be filled fifty percent. through Limited Departmental Competitive Examination and fifty percent by appointment of persons included in the Select List for the Section Officers' Grade.

(b) The rules for the Limited Departmental Competitive Examination referred to above shall be determined by regulations made by the Department of Personnel and Training and the allotment of candidates from the result of this examination to the various cadre units shall also be made by that Department:

Provided that if sufficient number of candidates are not available for filling up the vacancies in a cadre unit in any recruitment year, either by Limited Departmental Competitive Examination or by promotion on the basis of seniority, the unfilled vacancies shall be carried forward and added to the number of vacancies of the same mode of recruitment to be filled in the next recruitment year:

Provided further that no such unfilled vacancies shall be carried forward for more than two recruitment years, beyond the year to which the recruitment relates, where after the vacancies if any, still remaining unfilled belonging to one mode of recruitment shall be transferred as additional vacancies for the other mode of recruitment.

(2) ASSISTANTS' GRADE

(a) Seventy Five per cent of the regular vacancies in the Assistants' Grade in the cadre units shall be filled by direct recruitment of graduates possessing computer proficiency as may be notified by the Department of Personnel and Training on the basis of results of a Competitive Examination held by the Staff Selection Commission once in a year for this purpose. Out of the remaining vacancies, fifteen percent shall be filled by promotion on the basis of seniority and ten percent through Limited Departmental Competitive Examination for Upper Division Clerks of Central Secretariat Clerical Service to be conducted by Staff Selection Commission once in a year for this purpose. As a one time exception, resultant vacancies of Assistants arising from the cadre restructuring of Central Secretariat Service in 2003 shall be filled up from Upper Division Clerks by way of fifty percent through Limited Departmental Competitive Examination and fifty percent by seniority.

(b) The appointments of the persons whose names have been included in the Select List shall be made in the order of seniority in that Select List. For the purpose of this rule a Select List for the Assistants' Grade shall be prepared and published annually.

(c) The rules for the Competitive Examinations and Limited Departmental Competitive Examination referred above shall be determined by regulations made by the Department of Personnel and Training and the allotment of candidates from the results of these examinations to the various cadre units shall be made by that Department.

(d) The procedure for preparing and revising the Select List for Section Officers Grade and Assistants Grade shall be determined by regulations made by the Department of Personnel & Training.

13. Probation.- (1) Every officer, either directly recruited or promoted to the Assistants' Grade or appointed to Grade-I shall initially be appointed on probation, the period of probation being two years from the date of appointment.

(2) Every person other than a direct recruit shall, when first appointed to the Assistant Grade, be on probation for a period of two years from the date of such appointment.

(3) The period of probation specified in sub-rules (1) and (2) may, if the appointing authority deems fit, be extended in any case, but the total period of extension of probation shall not, save where it is necessary by reason of any departmental or legal proceedings pending against the officer, exceed one year.

(4) During probation, a member of the Service may be required to undergo such training and to qualify such tests as the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions may prescribe from time to time.

14. Confirmation of probationers.- Until a probationer appointed to either Assistant Grade or Grade-I of the Service has completed his probation in a manner to be determined by Regulations to the satisfaction of the appointing authority, he shall not be eligible for confirmation in Service. An officer shall continue to be on probation till he is confirmed under this rule or is discharged or reverted under rule 15.

15. Discharge or reversion of probationers.- (1) A probationer who has no lien on any post under the Central Government or any State Government shall be liable to be discharged from the Service at any time without notice if on the basis of his performance or conduct during probation, he is considered unfit for further retention in the Service.

(2) A probationer who holds a lien on a post under the Central Government or any State Government may be reverted to such post at any time for the reasons specified in sub-rule (1).

(3) A probationer who is not considered suitable for confirmation at the end of the period of probation specified in sub-rule (1) of rule 13 or at the end of the extended period of probation, if any, under sub-rule (3) of that rule, shall be discharged or reverted in accordance with sub-rule (1) or sub-rule (2), as the case may be.

(4) A member of the Service on probation in Assistant Grade or Grade-I who is not considered suitable for continuance in that Grade during or at the end of the period of probation specified in sub-rule (2) of rule 13 or the extended period, if any, under sub-rule (3) of that rule, shall be reverted to the next lower grade of the Service or to the concerned grade of the Central Secretariat Clerical Service, as the case may be, from which he was appointed on probation to the grade of the Service.

16. Seniority.- (1) The relative seniority of members of the Service appointed to any Grade before the appointed day shall be regulated by their relative seniority as determined before the said date:

Provided that, if the seniority of any such officer had not been specifically determined before the said date, it shall be as determined by the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

(2) The seniority of persons appointed to any Grade after the appointed day shall be determined as follows, namely: -

I. Senior Selection Grade, Selection Grade, Grade 1 and Section Officer.-

The inter-se seniority of officers appointed to the Grade after the appointed day shall be regulated by the order in which their names are included in the Select List for the Grade:

II. Assistants' Grade.-

(i) Regular Officers

(a) Direct recruits shall be ranked inter-se in the order of merit reckoned on the basis of final ranking obtained on the basis of marks obtained by the candidate in such of the mandatory training programme as may be prescribed by the Central Government and the marks obtained in the examination conducted by the Staff

Selection Commission in the ratio of 25:75 respectively, the recruits of an earlier examination being ranked senior to those of a later examination:

Provided that the seniority of persons recruited through the Competitive Examination held by the Staff Selection Commission shall be such as may be prescribed by the Central Government applicable to Central Civil Services.

(b) Persons appointed regularly to a Grade from the Select List for the Grade shall be ranked inter-se according to the order in which they are so appointed;

(c) The relative seniority of direct recruits to a Grade and persons regularly appointed to the Grade from the Select List for the Grade shall be regulated in accordance with the provisions of Regulations made in this behalf by the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

17. Pay.- The scales of pay attached to the various Grades of the Service shall be as follows, namely: -

- (i) Senior Selection Grade: Rs 37400-67000 (PB-4)+Rs 8700 (Grade Pay)
- (ii) Selection Grade: Rs 15600-39100 (PB-3) + Rs 7600 (Grade Pay)
- (iii) Grade I: Rs 15600-39100 (PB-3) + Rs 6600 (Grade Pay)
- (iv) Section Officers' Grade: Rs 9300-34800 (PB-2) + Rs 4800 (Grade Pay)

Note: The non-functional pay scale of Rs 15600-39100 (PB-3) +Rs5400 (Grade Pay) is admissible to the Section Officers of the Service on completion of 4 years of approved service in that grade. The Section Officers, who are granted this non-functional pay scale will continue to remain in Group 'B' (Gazetted) and their eligibility for promotion to Grade I (Under Secretary) of the Service will be reckoned on the basis of total period, spent in both the scales of Section Officer, counted together.

- (v) Assistants' Grade: Rs 9300-34800 (PB-2) + Rs 4200 (Grade Pay)

18. Regulation of Pay.- (1) The pay and increments of officers of the various

Grades shall be regulated in accordance with the Rules relating to pay of Central Civil Services.

(2) The pay of a probationer in a Grade may, on his completing each year of probation to the satisfaction of the appointing authority and qualifying the prescribed periodic tests, be raised, by one stage in the time scale.

19. Inter-cadre transfers.- The Department of Personnel and Training shall be the competent authority to transfer a cadre officer of any Grade from one cadre unit to another.

20. Constitution of new cadre units.- (1) The Department of Personnel and Training shall be the competent authority to amend, modify and create additional cadre units as given in the First Schedule.

(2) The authorised strength and the regular officers in each Grade in any new cadre unit initially constituted under sub-rule (1) shall be as determined by the Department of Personnel and Training.

(3) After a new cadre unit has been constituted under sub-rule (1) and its initial constitution determined under sub-rule (2), all the other provisions of these rules shall apply to such cadre unit.

21. Regulations.- The Department of Personnel and Training may make regulations, not inconsistent with these rules, to provide for all matters for which provision is necessary or expedient, for the purpose of giving effect to these rules.

22. Residuary matters.- In regard to matters not specifically covered by these rules or by regulations or orders made or issued there under, or by special orders, the members of the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable to the Central Civil Services in general.

23. Power to relax. - Where the Central Government is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any class or category of persons or posts, it may dispense with or relax the requirement of the rule to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary.

24. Repeal and savings. - (1) The Central Secretariat Service Rules, 1962 and regulations framed there under, as amended from time to time, in force before

23. Power to relax. - Where the Central Government is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any class or category of persons or posts, it may dispense with or relax the requirement of the rule to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary.

24. Repeal and savings.- (1) The Central Secretariat Service Rules, 1962 and regulations framed there under, as amended from time to time, in force before the commencement of these rules are hereby repealed subject to any notification, rule, regulation, order or notice issued, or any appointment or declaration made, or exemption granted or any penalty or fine imposed or any other thing done or any other action taken under the previous rules or regulations and in force immediately before such commencement shall so far as it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been issued, made, granted, done or taken under the corresponding provisions of these rules.

25. Reservations.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

26. Interpretation.- Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, or the regulations made there under, the matter shall be referred to the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions whose decision thereon shall be final.

First Schedule (See Rule 2(e), 2(f), 2(m) and 20)
Names of Ministries/Offices to whom the Central Secretariat Service Rules, 2009 apply

S. No.	Names of Cadre units	Names of participating office under the cadre unit mentioned in Column 2 (Only in Delhi)	Names of offices with Address located outside Delhi
	(2)	(3)	(4)
1	Ministry of Agriculture and Cooperation (Department of Agriculture and Cooperation)	(i) Department of Agriculture and Cooperation; (ii) Department of Agricultural Research and Education; (iii) Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries; (iv) Directorate of Economics and Statistics.	(i) Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, MH-IV, Faridabad (ii) Directorate of Marketing and Inspection, NLU-IV, Faridabad; (iii) Directorate of Marketing and Inspection, (Branch Head Office), New Sectt. Building, Nagpur
2	Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers)	(i) Department of Fertilizers (ii) Department of Chemicals and Petro-Chemicals; (iii) Department of Pharmaceuticals; (iv) National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA); (v) Office of Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC), 8th Floor, Sewa Bhawan, New Delhi;	
3	Ministry of Civil Aviation	(i) Ministry of Civil Aviation (Proper) (ii) Directorate General of Civil Aviation; (iii) Bureau of Civil Aviation Security; (iv) Commission of Railway Safety.	Railway Safety Section, 10-Ashok Marg, NE Railway Compound, Lucknow-226001.
4	Ministry of Coal	(i) Ministry of Coal (Proper)	

S. No.	Names of Cadre units	Names of participating office under the cadre unit mentioned in Column 2 (Only in Delhi)	Names of offices with Address located outside Delhi
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce)	(i) Department of Commerce; (ii) Directorate General of Foreign Trade (DGFT); (iii) Ministry of Textiles; (iv) National Handicrafts and Handloom Museum; (v) Office of DC (Handicrafts);	
6	Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Promotion and Policy)	(i) Department of Industrial Policy and Promotion; (ii) Department of Heavy Industries; (iii) Department of Public Enterprises; (iv) Tariff Commission; (v) Office of the Economic Adviser; (vi) Ministry of Food Processing Industries;	
7	Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) Supply Division	(i) Directorate General of Supplies and Disposals;	
8	Ministry of Communications and Information Technology (Department of Telecommunication)	(i) Department of Telecommunication;	
9	Ministry of Communications and Information Technology (Department of Posts)	(i) Department of Posts (Secretariat); (ii) Postal Life Insurance Directorate; (iii) Business Development Directorate.	
10	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs)	(i) Department of Consumer Affairs (Proper)	
11	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution)	(i) Department of Food and Public Distribution; (ii) Directorate of Sugar; (iii) Directorate of Vanaspathi, Vegetable Oil and Fats;	
12	Ministry of Corporate Affairs	(i) Ministry of Corporate Affairs (Proper)	
13	Ministry of Culture	(i) Archeological Survey of India;	

79/62/2009-4

S. No.	Names of Cadre units	Names of participating office under the cadre unit mentioned in Column 2 (Only in Delhi)	Names of offices with Address located outside Delhi
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Ministry of Defence (Main Secretariat)	(i) Department of Defence; (ii) Department of Defence Production; (iii) Department of Defence Research & Development; (iv) Department of Ex-Servicemen Welfare; (v) Ministry of Defence (Finance); (vi) Army Purchase Organisation;	
15	Ministry of Environment and Forests	(i) National Afforestation and Eco Development Board; (ii) National River Conservation Directorate; (iii) Civil Conservation Unit; (iv) National Tiger Conservation Authority; (v) National Environment Appellate Authority;	
16	Ministry of Finance (Department of Expenditure)	(i) Department of Expenditure; (ii) Department of Economic Affairs; (iii) Department of Revenue; (iv) Department of Financial Services; (v) Department of Disinvestment;	
17	Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health & Family Welfare)	(i) Department of Health & Family Welfare; (ii) Directorate General of Health Services; (iii) Department of Ayush; (iv) Department of Health Research;	
18	Ministry of Home Affairs	(i) Ministry of Home Affairs (Propaganda); (ii) Cabinet Secretariat (Rushtrapati Bhawan); (iii) Cabinet Secretariat (Security); (iv) Ministry of Statistics and Programme Administration; (v) Prime Ministers' Office; (vi) Department of Justice; (vii) Directorate of Coordination, Police Wireless and Computer Centre;	

S. No.	Names of Cadre units	Names of participating office under the cadre unit mentioned in Column 2 (Only in Delhi)	Names of offices with Address located outside Delhi
(1)	(2)	(3)	(4)
		(viii) Office of Registrar General and Census Commissioner of India; (ix) Ministry of Earth Sciences; (x) Cabinet Secretary (NSCS); (xi) Inter-State Council; (xii) Ministry of Development of North Eastern Region; (xiii) Ministry of Overseas Indian Affairs; (xiv) National Crime Records Bureau; (xv) National Disaster Management Authority;	
19	Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education)	(i) Department of Higher Education; (ii) Department of School Education & Literacy;	
20	Ministry of Information and Broadcasting	(i) Ministry of Information and Broadcasting (Proper) (ii) Directorate-General, All India Radio; (iii) Directorate General, Doordarshan; (iv) Press Information Bureau; (v) Directorate of Advertising and Visual Publicity; (vi) Publication Division;	
21	Ministry of Labour and Employment	(i) Office of Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi; (ii) Directorate General of Factory Advice Service and Labour Institute, Mumbai; (iii) Labour Bureau, Chandigarh/Shimla; (iv) Directorate General of Employment and Training;	Central Labour Institute Building, Off Eastern Express Highway, Sion, Mumbai. (i) SCO, 28-31, Sector 17A, J&K Bhawan, Chandigarh-160017. (ii) Chennai, Shimla. Mumbai, Chennai, Kolkata, Thiruvananthapuram.
22	Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs)	(i) Department of Legal Affairs; (ii) Legislative Department.	Branch Secretariat - Mumbai, Kolkata, Bangalore and Chennai.

S. No.	Names of Cadre units	Names of participating office under the cadre unit mentioned in Column 2 (Only in Delhi)	Names of offices with Address located outside Delhi
(1)	(2)	(3)	(4)
23	Ministry of Mines	(i) Ministry of Mines (Propag)	
24	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training)	(i) Department of Personnel and Training; (ii) Department of Pensions and Pensions' Welfare; (iii) Department of Administrative Reforms and Public Enterprises Selection Board; (iv) Staff Selection Commission;	Regional Offices at Kolkata, Mumbai, Chennai, Chandigarh, Bangalore, Raipur and Shri. ong
25	Ministry of Petroleum and Natural Gas	(v) Institute of Secretarial Training and Management (ISDM); (vi) Central Information Commission; (vii) Central Bureau of Investigation; (viii) Central Vigilance Commission;	
26	Ministry of Power	(i) Ministry of Power; (ii) Central Electricity Authority; (iii) Ministry of New and Renewable Energy;	
27	Ministry of Rural Development (Department of Rural Development)	(i) Department of Rural Development; (ii) Department of Land Resources; (iii) Department of Drinking Water Supply; (iv) Ministry of Panchayati Raj; (v) Central Project Management Cell for UNICEF Stores (CPMC)	Office at Mumbai
28	Ministry of Science and Technology (Department of Science and Technology)	(i) Department of Science and Technology; (ii) Department of Scientific and Industrial Research;	
29	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways)	(iii) Department of Jiro Technology (i) Department of Road Transport and Highways; (ii) Department of Shipping;	
30	Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises	(i) Office of Development Commissioner (MSME);	

S. No.	Names of Cadre units	Names of participating office under the cadre unit mentioned in Column 2 (Only in Delhi)	Names of offices with Address located outside Delhi
(1)	(2)	(3)	(4)
31	Ministry of Social Justice and Empowerment	(i) Ministry of Tribals Affairs; (ii) National Commission for Scheduled Castes; (iii) National Commission for Scheduled Tribes; (iv) National Commission for Backward Classes; (v) Ministry of Minority Affairs; (vi) Ministry of Steel (Proper)	
32	Ministry of Steel	(i) Ministry of Steel (Proper)	
33	Ministry of Urban Development	(i) Ministry of Urban Development (ii) Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation; (iii) Central Public Works Department; (iv) Directorate of Estates; (v) Directorate of Printing; (vi) National Building Organisation; (vii) Land and Development Office.	Chief Engineer Offices at Mumbai, Chennai, Jaipur, Guwahati and Kolkata.
34	Ministry of Water Resources	(i) Central Water Commission; (ii) Central Soil and Material Research Station.	Regional offices of Central Water Commission at Chandigarh, Delhi, Lucknow, Patna, Siliguri, Shillong, Bhopal, Gandhinagar, Nagpur, Bhubaneswar, Hyderabad, Coimbatore.
35	Ministry of Women and Child Development	(i) Ministry of Women and Child Development (Proper)	
36	Ministry of Youth Affairs and Sports	(i) Department of Youth Affairs; (ii) Department of Sports;	
37	Planning Commission	(i) Planning Commission	
38	Union Public Service Commission	(i) Union Public Service Commission	

Second Schedule- Part A (See rule 6)

Sanctioned Strength of Directors, Deputy Secretaries and Under Secretaries (CSS)

S. No.	Names of Ministries/Departments, Units	Sanctioned strength		
		Director	Dy. Secretary	Under Secretary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Administrative Reforms & Public Grievances	1	2	10
2	Agricultural Research & Education	0	1	7
3	Agriculture & Cooperation	2	11	51
4	Animal Husbandry & Dairying	1	2	7
5	Department of AYUSH	0	2	5
6	Bio-Technology	1	1	5
7	Cabinet Secretariat	1	5	11
8	Chemicals & Petrochemicals	0	4	13
9	Civil Aviation	0	4	19
10	Coal	0	2	9
11	Commerce	4	9	55
12	Consumer Affairs	2	3	9
13	Corporate Affairs	0	3	12
14	Culture	0	3	17
15	Central Vigilance Commission	3	0	0
16	Defence	11	20	118
17	Disinvestment	0	2	7
18	Department of North Eastern Regions	2	3	5
19	Department of Personnel & Training, Institute of Secretariat Training & Management, Public Enterprises Selection Board, Central Bureau of Investigation	7	14	41
20	Earth & Sciences	0	3	4
21	Economic Affairs	3	5	38
22	Secondary & Higher Education	6	13	56
23	Environment & Forests	2	4	24
24	Expenditure	1	4	17
25	Fertilizers	0	2	8
26	Financial Services	4	3	12
27	Food & Public Distribution	2	6	29
28	Food Processing Industries	2	2	8
29	Health & Family Welfare	1	13	56
30	Heavy Industries	0	4	14
31	Home	16	18	100
32	Information & Broadcasting	0	4	30
33	Industrial Policy & Promotion	2	6	30
34	Inter State Council Sectt	2	2	2
35	Labour	2	8	31
36	Legal Affairs	0	2	4
37	Legislative Department	0	4	2
38	Mines	0	2	5

S. No.	Names of Ministries/Departments/Units	Sanctioned strength		
		Director ✓	Dy. Secretary	Under Secretary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39	Minority Affairs	0	3	6
40	New & Renewable Energy	1	0	9
41	National Human Rights Commission	1	0	0
42	Overseas Indian Affairs	0	1	3
43	Petroleum & Natural Gas	1	4	18
44	Planning Commission	1	4	10
45	Prime Minister's Office	0	0	3
46	Posts	0	3	18
47	Power	1	6	27
48	Public Enterprises	1	1	2
49	Registrar General of India	1	1	2
50	Revenue	1	12	44
51	Road Transport & Highways	2	4	16
52	Rural Development	3	6	29
53	Science & Technology	1	4	16
54	Scientific and Ind. Research	0	3	2
55	Shipping	0	4	16
56	Social Justice & Empowerment	4	4	18
57	Staff Selection Commission	1	1	11
58	Small Scale Industries (SSI), Agro & Rural Industries and Development Commissioner (SSI)	0	3	8
59	Statistics and Programme Imp.	0	2	10
60	Steel	1	3	12
61	Supply	0	4	20
62	Telecommunication	0	7	24
63	Textiles	2	2	11
64	Tourism	0	2	7
65	Tribal Affairs	0	4	8
66	Union Public Service Commission	3	19	67
67	Urban Development	3	13	58
68	Water Resources	2	7	28
69	Women & Child Development	0	4	17
70	Youth Affairs & Sports	2	3	10
	TOTAL	110	330	1400

Second Schedule-Part B (See rule 6)

Sanctioned Strength of Section Officers and Assistants of CSS

S. No.	Names of Cadre units	Sanctioned strength	
		Section Officer	Assistant
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation)	118	181
2	Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers)	38	63
3	Ministry of Civil Aviation	36	98
4	Ministry of Coal	18	27
5	Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce)	140	140
6	Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) Supply Division	54	80
7	Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion)	104	124
8	Ministry of Communication (Department of Posts)	42	102
9	Ministry of Communication (Department of Telecommunication)	56	86
10	Ministry of Corporate Affairs	22	39
11	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs)	18	23
12	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution)	54	102
13	Ministry of Culture	41	52
14	Ministry of Defence	221	336
15	Ministry of Environment and Forests	48	63
16	Ministry of Finance	255	456
17	Ministry of Health and Family Welfare	135	222
18	Ministry of Home Affairs	269	441
19	Ministry of Human Resource Development	120	223
20	Ministry of Information and Broadcasting	150	256
21	Ministry of Labour and Employment	76	143
22	Ministry of Law and Justice	23	50
23	Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	21	26
24	Ministry of Mines	25	37
25	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (DOPT)	149	217
26	Ministry of Petroleum and Natural Gas	36	40
27	Ministry of Power	70	102
28	Ministry of Rural Development (Department of Rural Development)	46	58

S. No.	Names of Cadre units	Sanctioned strength	
		Section Officer	Assistants
(1)	(2)	(3)	(4)
29	Ministry of Science and Technology	46	60
30	Ministry of Shipping, Road Transport and Highways	64	108
31	Ministry of Social Justice and Empowerment	58	82
32	Ministry of Steel	25	40
33	Ministry of Urban Development	150	277
34	Ministry of Water Resources	56	127
35	Ministry of Women and Child Development	31	30
36	Ministry of Youth Affairs and Sports	21	43
37	Planning Commission	23	62
38	Union Public Service Commission	141	285
TOTAL		3000	4904

[F. No. S/24/2004-CS. I]
Dr. S.K. SARKAR, Jr. Secy.